संख्याः-1/2026/602/सैंतीस-3-2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कुलपति,
उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय
पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गो अनुसंधान, संथान, मथुरा।

2- कुलपति,
आचार्य नरेन्द्र देव
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या।

3- कुलपति,
सरदार वल्लभ भाई पटेल,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनाँकः 21 मई, 2026**

विषयः- प्रदेश में अध्ययनरत पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता रू0 4,000/-प्रति माह से बढ़ाकर रू0 12,000/- प्रति माह किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश विशाल जनसंख्या, पशु संख्या एवं विस्तृत क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। पशुपालन विभाग द्वारा समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखने, विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु सघन प्रयास किया जा रहा है। पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमितया का विकास कर स्वरोजगार का सृजन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सुधार के साथ ही डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित कर समाज के निम्न वर्ग तक लाभ को सुनिश्चित कराया जाना पशुपालन विभाग की उच्च प्राथमिकता है।

2- पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों द्वारा पशु चिकित्सालयों, पॉलीक्लीनिक, रोग निदान प्रयोगशालाओं, राज्य चिड़ियाघरों एवं अन्य बाहरी प्रशिक्षणों में उपचार, टीकाकरण, रोग निगरानी, कृत्रिम गर्भाधान, रात्रिकालीन ड्यूटी/आपातकालीन स्थितियों सहित कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुये इंटर्नशिप किया जाता है। पशुओं में संक्रामक बीमारियों के प्रसार के समय इनके द्वारा संक्रमित क्षेत्रों को चिह्नित कर, संबंधित ग्रामों को एडाप्ट कर वहाँ कैम्प लगाकर पशुओं का उपचार किया जाता है। अतः पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को इंटर्नशिप उनके कार्य के प्रतिफल के रूप में दिया जाना समुचित है। यह भी उल्लेख करना है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के पशु चिकित्सा के छात्रों को प्रदान की जाने वाली इंटर्नशिप भत्ते में विषमता भी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतएव प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम स्तर द्वारा उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, (दुवासू), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में अध्ययनरत् पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता रू0 4,000/- प्रति माह से बढ़ाकर रू0 12,000/- प्रति माह किये जाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले व्यय-भार की पूर्ति विश्वविद्यालय को प्रदत्त शासकीय अनुदान के अन्तर्गत गैर वेतन मद (Non Salary Head) से सम्बन्धित लेखा शीर्ष में अतिरिक्त बजटीय प्राविधान करके किया जायेगा।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को रू0 12,000/- प्रति माह किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनाँक उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. कुलसचिव, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
4. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।